न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू

बइजलास :— गोपाल परिहार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 09 / 2023

1. मोहन पुत्र कालू
2. नन्दा पुत्र कालू
3. नारायण पुत्र कालू

समस्त जातियान यादव निवासियान ग्राम मण्डोर, तहसील फागी, जिला जयपुर ।

(अपीलार्थी)

बनाम

1 तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर ।

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व निर्णय

दिनांक 07.07.2023 नायब तहसीलदार फागी जिला जयपुर के मुकदमा नम्बर 01 / 2023

सरकार बनाम मोहन वगैरह

उपस्थित :—

1. श्री हनुमान सहाया सिहाग विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की और से।

2 पैरोकार सरकार ।

निर्णय दिनांक :— 29.10.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वाके ग्राम मण्डोर का रहने वाला है जिसकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 175 व 176 अपीलाण्टगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जिसके लगवा ही आराजी खसरा नम्बर 171 गैर मुमकिन रास्ते की भूमि है। जिस पर अपीलान्टगण का अतिक्रमण मानते हुये पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 15.05.2023 के आधार पर उक्त आराजी के रकबे 0.0379 पर छडिया डालकर व बोरिंग लगाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट को आधार मानते हुये उक्त अपीलाधीन आदेश प्रार्थीगण / अपीलाण्टगण की एकतरफा कार्यवाही करते हुये पारित किया गया है। अपीलाण्टगण द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को अनदेखा करते हुये मनमाने तौर पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

एकतरफा में निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्टगण ने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि अपीलाण्टगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 175 व 176 वाके ग्राम मण्डोर में स्थित भूमि पर है जो गैर मुमकिन रास्ते से 20–25 फीट दूरी पर सरकारी दीवार को छोडकर अपीलान्टगण का बोरिंग अपनी खातेदारी भूमि में है। उक्त तथ्य को नजरअन्दाज कर बिना सीमाज्ञान करवाये ही उक्त आदेश पारित किया गया है। जो न्याय की मंशा के विपरित है। खसरा नम्बर 171 पर अपीलान्टगण का किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नहीं है उक्त खसरा नम्बर 171 पर अगर मेरा अतिक्रमण पाया जाता है तो मैं अपने स्वयं के खर्चे पर हटा लूँगा। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार फागी का निर्णय दिनांक 07.07.2023 सरकार बनाम मोहन वगै0 को निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें।

2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस की तलवी जारी की गई। रेस्पोडेन्ट पैरोकार सरकार उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई।
3. रेस्पोडेन्ट पैरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मण्डोर के आ. ख.नं. 171 रकबा 0.05058 हैक्टेयर किस्त गै0मु0 रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है जिस पर अपीलान्टगण मोहन, नन्दा व नारायण पित कालू जाति यादव निवासी मण्डोर द्वारा 0.0379 हैक्टेयर भूमि पर छडिया डालकर व बोरिंग लगाकर अतिक्मण करने पर पटवारी हल्का मण्डोर ने धारा 91 के अन्तर्गत दिनांक 15.5.2023 को तहसील में रिपोर्ट पेश की जिस पर नियमानुसार कार्यवाही कर सुनवाई कर दिनांक 07.07.2023 को निर्णय पारित किया गया जो विधि सम्मत है। अपीलान्टगण को सुनकर एवं प्रर्याप्त समय/अवसर दिया जाकर निर्णय किया गया है। अपीलान्टगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान नियमानुसार आवेदन कर सीमाज्ञान करवा सकते है। ख.नं. 171 गै.मु. रास्ता सिवायचक दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में होने के कारण अपीलान्टगण अतिक्मियों के विरूद्ध विधि सम्मत धारा 91 की कार्यवाही की गई है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट खारिज फरमाने की कृपा करें।
4. प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलाण्टगण का बोरिंग व छडिया अपीलाण्टगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 175 व 176 वाके ग्राम मण्डोर में स्थित भूमि पर है जो गैर मुमकिन रास्ते से 20–25 फीट दूरी पर सरकारी दीवार को छोडकर अपीलान्टगण का बोरिंग अपनी खातेदारी भूमि में है। खसरा नम्बर 171 पर अपीलान्टगण का किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नहीं है उक्त खसरा नम्बर 171 पर अगर मेरा अतिक्रमण पाया जाता है तो मैं अपने स्वयं के खर्चे पर हटा लूँगा। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार फागी का निर्णय दिनांक 07.07.2023 सरकार बनाम मोहन वगै0 को निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें।
5. पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम मण्डोर के आ.ख.नं. 171 रकबा 0.05058 हैक्टेयर किस्त गै0मु0 रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है जिस पर अपीलान्टगण मोहन, नन्दा व नारायण पिता कालू जाति यादव निवासी मण्डोर द्वारा 0.0379 हैक्टेयर भूमि पर छडिया डालकर व बोरिंग लगाकर अतिक्मण करने पर नियमानुसार कार्यवाही कर सुनवाई कर दिनांक 07.07.2023 को निर्णय पारित किया गया जो विधि सम्मत है। अपीलान्टगण को सुनकर एवं प्रर्याप्त समय/अवसर दिया जाकर निर्णय किया गया है। अपीलान्टगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान नियमानुसार आवेदन कर सीमाज्ञान करवा सकते है। ख.नं. 171 कुल रकबा 0.05058 है0 किस्म गै.मु. रास्ता

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

अतिक्रमित रकबा 0.0379 है0 से बेदखली की गई है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट खारिज फरमाने की कृपा करें।

6. उभयपक्ष की बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया । पत्रावली व दस्तावेजात का भलीभॉती अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि अपीलार्थी मोहन, नन्दा व नारायण पिता कालू जाति यादव निवासी मण्डोर द्वारा 0. 0379 हैक्टेयर भूमि पर छडिया डालकर व बोरिंग लगाकर अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर सुनवाई कर दिनांक 07.07.2023 को निर्णय पारित किया गया जो विधि सम्मत है।

7. अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार फागी द्वारा प्रकरण संख्या 01/2023 बउनवानी सरकार बनाम मोहन, नन्दा, नारायण में पारित निर्णय दिनांक 07.07.2023 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न्यायोचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

8. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत तहसीलदार फागी को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 29.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गोपाल परिहार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अति0 जिला कलक्टर
दूदू